



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20112020-223207
CG-DL-E-20112020-223207

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 331]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 20, 2020/कार्तिक 29, 1942

No. 331]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 20, 2020/KARTIKA 29, 1942

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 नवम्बर, 2020

जाँच समाप्ति

(मामला सं. (ओ.आई.) 21/2019

विषय : कुवैत, ओमान, सिंगापुर तथा यूएई के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित “मोनो एथीलीन ग्लाइकोल” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जाँच की समाप्ति ।

फा. सं. 6/29/2019- डीजीटीआर.—क. प्रस्तावना

1. समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे इसके पश्चात “अधिनियम” भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संकलन तथा क्षति के निर्धारण के लिए) नियमावली, 1995 (जिसे इसके पश्चात “नियमावली” भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिसे इसके पश्चात “प्राधिकारी” भी कहा गया है) मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (जिसे इसके पश्चात “आवेदक” भी कहा गया है) ने कुवैत, ओमान, सऊदी अरब, सिंगापुर तथा यूएई (जिसे इसके पश्चात “संबद्ध देश” भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित “मोनो एथीलीन ग्लाइकोल (एमईजी अथवा एथीलीन ग्लाइकोल)” (जिसे इसके पश्चात “विचाराधीन उत्पाद” अथवा “संबद्ध वस्तु” भी कहा गया है) के आयातों पर पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करने और पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के लिए दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 को एक आवेदन दायर किया था ।

2. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों द्वारा संबद्ध वस्तुओं के पाटन, घरेलू उद्योग को क्षति और पाटन तथा क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के आधार पर नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की पाटनरोधी जाँच की शुरुआत की थी।
3. तदनुसार, प्राधिकारी ने कुवैत, ओमान, सउदी अरब, सिंगापुर और यूएई के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित टैरिफ मद 2905 31 00, के अंतर्गत वर्गीकृत “मोनो एथीलीन ग्लाइकोल (एमईजी अथवा एथीलीन ग्लाइकोल)” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरुआत करते हुए दिनांक 9 दिसंबर, 2019 को भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की थी।

ख. प्रक्रिया

4. प्राधिकारी ने जाँच की शुरुआत होने के बाद भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों, संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों, ज्ञात आयातकों/उपयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पतों के अनुसार, जाँच शुरुआत करने की अधिसूचना की प्रतियों भेजी और उन्हें पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (2) के तहत जाँच शुरु करने की अधिसूचना के 30 दिनों के भीतर लिखित में अपने विचारों से अवगत कराने का अनुरोध किया।
5. प्राधिकारी ने दिनांक 31 जनवरी, 2020 तक निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल करने के लिए समय विस्तार प्रदान किया, जिसे डीजीटीआर की वेबसाइट के माध्यम से सार्वजनिक डोमेन में रखा गया था।
6. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6 (3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति प्रदान की।
7. भारत में संबद्ध देशों के दूतावासों को भी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर दाखिल करने के लिए अपने देशों से निर्यातकों/उत्पादकों को परामर्श देने का अनुरोध किया गया था। निर्यातकों/उत्पादकों को भेजी गयी प्रश्नावली और पत्र की एक प्रति संबद्ध देशों से ज्ञात निर्यातकों/उत्पादकों को उनके नाम और पतों के साथ उन्हें भी भेजी गयी थी।
8. जाँच शुरुआत करने की अधिसूचना और सूचना के उत्तर में, संबद्ध देशों से निर्यातकों/उत्पादकों और आयातकों/उपयोक्ताओं ने निर्यातक प्रश्नावली उत्तर दाखिल करके और विधिक अनुरोध दाखिल करके प्राधिकारी को उत्तर दिया।
9. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निरीक्षण के लिए रखी गयी एक सार्वजनिक फाइल के रूप में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों का अगोपनीय पाठ उपलब्ध कराया।
10. आवेदक ने दिनांक 21 फरवरी, 2020 के पत्र के तहत सउदी अरब से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में जाँच को समाप्त करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया है। इसके अलावा, आवेदक द्वारा कुवैत, ओमान, सिंगापुर और यूएई से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में जाँच को जारी रखने और अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश करने के लिए प्राधिकारी से अनुरोध किया गया है।
11. प्राधिकारी ने सउदी अरब के खिलाफ “मोनोएथीलीन ग्लाइकोल (एमईजी या एथीलीन ग्लाइकोल)” के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच को समाप्त करते हुए दिनांक 6 अप्रैल, 2020 को भारत के राजपत्र – असाधारण में प्रकाशित एक सार्वजनिक सूचना जारी की और यह नोट किया कि कुवैत, ओमान, सिंगापुर और यूएई के मूल की अथवा वहाँ से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में जाँच जारी रहेगी।

ग. घरेलू उद्योग से प्राप्त अनुरोध

12. दिनांक 18 नवम्बर, 2020 के पत्र के तहत आवेदक ने, संबद्ध मामले में दाखिल किए गए आवेदन को यह कहते हुए वापस ले लिया कि वर्तमान स्थिति को देखते हुए, उन्होंने उपरोक्त आवेदन को पुनः प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता के साथ वापस लिया है।

घ. प्राधिकारी द्वारा जाँच

13. घरेलू उद्योग, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दिनांक 18 नवंबर, 2020 के उनके पत्र में किए गए अनुरोध की जाँच की गई है।

14. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14(क) का पाठ इस प्रकार है :

14. जाँच समाप्त करना - निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी जाँच को एक सार्वजनिक सूचना जारी करके तत्काल समाप्त कर देंगे यदि - (क) उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जाँच शुरू की गई थी, की ओर से ऐसा करने के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होता है।

15. यह नोट किया जाता है कि नियम 14 में ऐसी कतिपय स्थितियों में जाँच समाप्त करने का प्रावधान है, जिनमें ऐसी स्थिति शामिल है, जाँच कंपनी द्वारा आवेदन वापस ले लिया जाता है। नियमावली के नियम 14(क) में प्रावधान है कि निर्दिष्ट प्राधिकारी किसी जाँच को एक सार्वजनिक सूचना जारी करके तत्काल समाप्त कर देंगे यदि उन्हें प्रभावित घरेलू उद्योग जिसके कहने पर जाँच शुरू की गई थी, की ओर से ऐसा करने के लिए लिखित अनुरोध प्राप्त होता है।

16. वर्तमान जाँच घरेलू उद्योग के रूप में मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर शुरू की गई थी। मैसर्स इंडिया ग्लाइकोल्स लिमिटेड ने मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा दायर आवेदन का समर्थन किया था। इस प्रकार, वर्तमान मामले में घरेलू उद्योग एकमात्र एकल उत्पादक मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि नियमावली के नियम 14(क) में प्राधिकारी द्वारा उस स्थिति में जाँच समाप्त किया जाना अपेक्षित है जबकि घरेलू उद्योग, जिसके कहने पर जाँच शुरू की गई थी, जाँच समाप्त करने के लिए कोई लिखित अनुरोध प्रस्तुत करता है।

ड. निष्कर्ष

17. घरेलू उद्योग, मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा किए गए उपरोक्त अनुरोध को देखते हुए और नियमावली के नियम 14 (क) के प्रावधानों के अंतर्गत प्राधिकारी एतद्वारा कुवैत, ओमान, सिंगापुर और यूएई से “मोनो एथीलीन ग्लाइकोल (एमईजी अथवा एथीलीन ग्लाइकोल)” के आयातों के खिलाफ दिनांक 9 दिसम्बर, 2019 की अधिसूचना सं. 6/29/2019- डीजीटीआर के तहत शुरू की गयी और दिनांक 6 अप्रैल, 2020 की अधिसूचना सं. 6/29/2019- डीजीटीआर के तहत संशोधित की गयी जाँच को समाप्त करते हैं।

बी.बी. स्वेन, विशेष सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY
(Department of Commerce)
(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th November, 2020

TERMINATION

Case No. (O.I.) 21/2019

Subject : Termination of Anti-Dumping Investigation concerning imports of “Mono Ethylene Glycol” originating in or exported from Kuwait, Oman, Singapore and UAE.

F. No. 6/29/2019- DGTR.—A. Introduction

1. Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Act”) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995, as amended from time to time (hereinafter also referred as the “Rules”), thereof, M/s Reliance Industries Limited (hereinafter also referred to as the “Applicant”) filed an application dated 25th October, 2019 before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duties on imports of “Mono Ethylene Glycol (MEG or Ethylene Glycol)” (hereinafter referred as “product under consideration” or “subject goods”) originating in or exported from Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Singapore and United Arab Emirates (UAE) (hereinafter referred as “subject countries”).

2. The Authority, based on prima facie evidence of dumping of subject goods by the subject countries, injury to the domestic industry and causal link between the dumping and injury, initiated an anti-dumping investigation into the alleged dumping, and consequential injury to the domestic industry in terms of Rule 5 of the Rules.
3. The Authority accordingly issued a Public Notice dated 9th December, 2019 published in the Gazette of India – Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of “Mono Ethylene Glycol (MEG or Ethylene Glycol)”, classified under the tariff item 2905 31 00, originating in or exported from Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Singapore and UAE.

B. Procedure

4. The Authority post-initiation sent copies of the initiation notification to the Embassies of the subject countries in India, known producers/exporters from the subject countries, known importers/users and the domestic industry as per the addresses made available by the applicant and requested them to make their views known in writing within 30 days of the initiation notification as per Rule 6(2) of the AD Rules
5. The Authority, granted extension, to file Exporter Questionnaire Response by 31st January, 2020, which was placed in the public domain through DGTR’s website.
6. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Embassies of the subject countries in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules.
7. The Embassies of the subject countries in India were also requested to advise the exporters/producers from its countries to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject countries.
8. In response to the initiation notification and intimation, exporters/ producers from subject countries and importers/ users responded to the Authority by filing Exporter Questionnaire Response and filing legal submissions.
9. The Authority made available non-confidential version of the evidences presented by various interested parties in the form of a public file kept open for inspection by the interested parties.
10. The Applicant, vide letter dated 21st February, 2020, requested the Authority to terminate the investigation in respect of imports of subject goods from Saudi Arabia. Further, the Applicant requested the Authority to continue the investigation and recommend for imposition of provisional anti-dumping duty in respect of imports of subject goods from Kuwait, Oman, Singapore and UAE.
11. The Authority issued a Public Notice dated 6th April, 2020 published in the Gazette of India – Extraordinary, terminating the anti-dumping investigation concerning imports of “Mono Ethylene Glycol (MEG or Ethylene Glycol)”, against Saudi Arabia, and noted that the investigation in respect of imports of subject goods originating in or exported from Kuwait, Oman, Singapore and UAE shall continue.

C. Request Received from the Domestic Industry

12. Vide letter dated 18th November, 2020, the Applicant withdrew the application filed in the subject matter stating that in view of the current situation, they have withdrawn the aforesaid application with a liberty to resubmit the same.

D. Examination by the Authority

13. The request made by the domestic industry, M/s Reliance Industries Limited, vide its letter dated 18th November, 2020, has been examined.
14. The Authority notes that Rule 14(a) of the Rules reads as under:

14. Termination of investigation. - The designated authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if – (a) it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated;

15. It is noted that Rule 14 provides for termination of investigations in certain situations which includes a situation where the application is withdrawn by the company. Rule 14(a) of Rules provides that the Authority shall, by issue of a public notice, terminate an investigation immediately if it receives a request in writing for doing so from or on behalf of the domestic industry affected, at whose instance the investigation was initiated.
16. The present investigation was initiated based on an application filed by M/s Reliance Industries Limited constituting the domestic industry. M/s India Glycols Limited supported the application filed by M/s Reliance Industries Limited. Thus, the domestic industry in the present case consists of a single producer i.e. M/s Reliance Industries Ltd. The Authority notes that Rule 14(a) of the Rules requires the Authority to terminate the investigation, once the domestic industry, at whose instance the investigation was initiated files a written request for termination of the investigation.

E. Conclusion

17. In view of the aforesaid request made by the domestic industry, M/s Reliance Industries Limited and under the provisions of Rule 14(a) of the Rules the Authority hereby terminates the investigation initiated on 9th December, 2019 vide notification No. 6/29/2019- DGTR and as modified by the notification dated 6th April, 2020 vide notification No. 6/29/2019- DGTR against the imports of 'Mono Ethylene Glycol (MEG or Ethylene Glycol) from Kuwait, Oman, Singapore and UAE.

B.B. SWAIN, Spl. Secy. & Designated Authority